

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:-

CFMS-2.0 Module के अन्तर्गत डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने के क्रम में हो रही कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में।

प्रसंग:-

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 8294 दिनांक 07.09.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि CFMS-2.0 Module के अन्तर्गत डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने के क्रम में हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु वित्त विभाग के संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 8609 603

पटना/दिनांक:- 11.10.26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राजीव रौशन,

सचिव (संसाधन)।

सेवा में

07 SEP 2026

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक- 31/9/2026

विषय:-

CFMS-2.0 Module के अर्न्तगत डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने के क्रम में हो रही कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में।

प्रसंग:-

वित्त विभागीय पत्रांक-6771 दिनांक-22.07.2026 एवं पत्रांक-2913 दिनांक-18.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि CFMS-2.0 वर्तमान में सुचारु रूप से कार्यान्वित है, परन्तु कतिपय विभागों द्वारा डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को CFMS 2.0 के माध्यम से समायोजन हेतु प्रेषित करने के क्रम में कुछ तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है।

2. CFMS 2.0 के माध्यम से डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन हेतु ऑनलाइन प्रेषित करने के क्रम में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण CFMS Portal पर Ticket raise कर किया जा सकता है। साथ ही विपत्र प्रस्तुत करने के क्रम में, आने वाली तकनीकी समस्याओं सहित अन्य समस्याओं यथा-स्वीकृत्यादेश, आवंटनादेश, महालेखाकार कार्यालय से समायोजित एवं असमयोजित डाटा की उपलब्धता, बंधेज शिथिलीकरण आदि के निराकरण हेतु Ticket Raise कर ए०सी०/डी०सी० संग्रहण केंद्र, वित्त विभाग के नामित पदाधिकारी-डॉ० अरूण कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, ए०सी०/डी०सी० संग्रहण केंद्र, मो०न०-9060949689/9911231821 के साथ सम्पर्क कर समस्या का निराकरण प्राप्त किया जा सकता है।

3. अतः अनुरोध है कि CFMS 2.0 के माध्यम से विपत्रों को प्रेषित किये जाने के क्रम में होने वाली कठिनाइयों का निराकरण Ticket raise कर एवं प्रभारी पदाधिकारी, ए०सी०/डी०सी० संग्रहण केंद्र, वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

JMC
3488
09/09/26

AUBB

DDI/SS(AD)

9/9/26

विश्वासभाजन,

(राजीव रौशन)

सचिव (संसाधन)।

SS(AD)

9/9/26